न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सांलुखे गौरव रविन्द्र , आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
श्री शंकरलाल पुत्र अमेदाराम परिहार, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालो की ढाणीयां, सियान्दा, जोधपुर, हाल निवासी किवरली तहसील देलदर (राज.) व अन्य – 2 (श्री विक्रम सिंह देवड़ा, अधिवक्ता प्रार्थीगण)		राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार देलदर, जिला सिरोही।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/2024

दिनांक 22.5.2024

–: आदेश :–

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा ग्राम किवरली, पटवार हल्का देलदर, तहसील देलदर में निम्न खसरा नंबर व रकबे की स्थित है :–

खसरा नंबर	रकबा
642	0.4932 हैक्टेयर
कुल किता 01	कुल रकबा 0.4932 हैक्टेयर

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/3 हक हिस्सा विद्यमान है एवं उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण के कृषि कार्य करने हेतु व आने जाने हेतु प्रार्थीगण के पास कोई मार्ग उपलब्ध नही होने से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के द्वारा मार्ग प्राप्ति हेतु पेश किया गया है।

यह कि खसरा संख्या 642 कृषि भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थीगण पास अप्रार्थी की खसरा संख्या 640 की किस्म गैर मुमकीन मगरी की भूमि से होकर खसरा संख्या 650 गैर मुमकीन रास्ते तक आवागमन के अलावा अन्य कोई निकटतम मार्ग उपलब्ध नही है। यह कि रास्ते के अभाव में खसरा संख्या 642 की अपनी कृषि भमि में प्रार्थीगण कृषि कार्य नही कर सकेगे, आवागमन , कृषि यंत्र लाने जाने से तथा रास्ते का अपयोग उपभोग करने से वंचित हो जायेगें तथा उन्हें अत्यधिक आर्थिक हानि होगी। यह कि प्रार्थीगण को उनकी खसरा संख्या 642 की कृषि भूमि से लगती अप्रार्थी की खसरा संख्या 640 की किस्म गैर मुमकीन मगरी में से खसरा संख्या 650 गैर मुमकीन रास्ते की भूमि तक न्युनतम 30 फुट का रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी करे। अप्रार्थी ने जरिये पत्रांक 76 दिनांक 07.02.2024 जवाब [illegible] कि प्रार्थी के पास वर्तमान में स्वयं की खातेदारी में जाने हेतु बिलानाम भूमि में [illegible] बना हुआ है, प्रार्थी द्वारा उसी रास्ते का उपयोग आवागमन हेतु किया जा रहा है। यह [illegible] प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 642 तक पहुंच हेतु खसरा [illegible] रास्ता से इसके [illegible] सीधा निकटतम मार्ग उपलब्ध नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.05.22 18:15:03 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट में अंकन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 642 रकबा 0.4932 हैक्टेयर कृषि भूमि में खसरा संख्या 650 रास्ते से आने जाने हेतु खसरा सं. 640 रकबा 1.5174 हैक्टेयर किस्म गे.मु.मगरी में से (राजकीय बिलानाम भूमि) मौके पर रास्ता बना हुआ है ,

उसी रास्ते का उपयोग कर प्रार्थी खातेदारो द्वारा आवागमन किया जा रहा है, उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई मार्ग मौके एवं रेकर्ड अनुसार उपलब्ध नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर दस्तावेजो का अध्ययन किया। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा बिलानाम राजकीय भूमि खसरा संख्या 640 में से 30 फीट रास्ता चाहा गया है, जो तहसीलदार के पत्रांक 155 दिनांक 12.03.2024 के संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। स्टेट के जवाब व मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा ग्राम मुदरला के खसरा संख्या प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 642 रकबा 0.4932 हैक्टेयर कृषि भूमि में खसरा संख्या 650 रास्ते से आने जाने हेतु खसरा संख्या 640 रकबा 1.5174 हैक्टेयर किस्म गे.मु. मगरी में से मौके पर जो रास्ता बना हुआ है उसके अलावा अन्य कोई मार्ग मौके एवं रेकर्ड अनुसार उपलब्ध नही है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व अधिकारी प्रस्तावित रास्ता सरकारी बिलानाम भूमि खसरा नंबर 640 रकबा 1.5174 हैक्टेयर में से 118 फीट लम्बा एवं 30 फीट चौड़ा कुल क्षेत्रफल 3540 वर्गफीट अर्थात 0.0329 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी। ग्राम किवरली की डी एल सी दर 1737530/– रूपये प्रति हैक्टेयर होने से उपरोक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्यांकन 57165/– रूपये बनता है। जिसका दुगुना मूल्यांकन 114330/– रूपये बनता है। प्रस्तावित रास्ता कायम करते हुए रास्ते का सार्वजनिक रूप से उपयोग हेतु नक्शे में तरमीम की कार्यवाही करने के आदेश दिए जाते है। राजस्व अधिकारी पत्र संख्या 155 दिनांक 12.03.2024 के अनुसार नियमानुसार राशि का भुगतान करवाते हुए रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करेंगे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(सांलुखे गौरव रविन्द्र) I.A.S.
सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

सहायक कलेक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

आदेश आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सांलुखे गौरव रविन्द्र) I.A.S.
सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

सहायक कलेक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.05.22 13:15:03 IST
Reason: SelfAttested